न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमाराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 179 / 2023
आरसीएमएस नं. :– 2023 / 301

प्रार्थी :–
अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद सदीक
जाति मुसलमान तेली निवासी रियां
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :–09.10.2023

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बक्तावर सिंह जाखड़ प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश''

दिनांक : 25.08.2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
459	813	5.4608 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	815	2.3218 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	876	4.0126 हैक्टयर	बारानी प्रथम
कुल खसरा	03	कुल रकबा 11.7952 हैक्टयर	

उक्त वर्णित आराजी को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व मो.सदीक की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन थी उनके देहान्त के पश्चात् वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी 1/20 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी को बोलचाल भाषा में कालू नाम से पुकारा जाता था, इसलिए प्रार्थी के पिता के देहान्त पश्चात् राजस्व रेकर्ड में प्रज्ञर्थी का नाम कालू दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का दस्तावेजात में नाम अब्दुल हमीद है । प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद दर्ज नही कर सेवप से त्रुटिवंश कालू दर्ज कर दिया जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर कालू पुत्र सदीक के स्थान पर अब्दुल हमीद पुत्र मो. सदीक करवाने का हकदार हैं। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, जनआधार कार्ड बने हुए है सभी में प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र मो. सदीक दर्ज है जिसकी फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु दिनांक 05.10.2023 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमाबन्दी नकले प्राप्त की इस पर हल्का पटवारी ने बताया कि आपका राजस्व रेकर्ड में नाम अब्दुल हमीद के स्थान पर त्रुटिवंश कालू दर्ज हो गया इसलिए किसान केडिट कार्ड नही बनेगा पहले नाम दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में आवेदन पेश कर प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र मो. सदीकके स्थान पर गलत इन्द्राज कालू पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

दीक हो जाने से दुरूस्ती करने का निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती माननीय न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी को श्रीमान न्यायालय हाजा से उक्त प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी अविभाजित आराजी है जिसमें प्रार्थी 1/20 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी दर्ज है लेकिन प्रार्थी के बोल चाल का नाम कालू पुत्र सदीक दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का दस्तावेज में नाम अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद सदीक दर्ज है इसलिए प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया अन्यथा किसान केडिट कार्ड नही बन पायेगा तथा प्रार्थी अपना अलग खाता नही करवा सकेगा। प्रार्थी का दस्तावेजी नाम अब्दुल हमीद है इसलिए राजस्व रेकर्ड में कालू पुत्र सदीक हिस्सा 1/20 वां के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद सदीक हिस्सा 1/20 वां इन्द्राज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र सदीक हिस्सा 1/20 के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद सदीक 1/20 वां हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें व राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रियां के खाता नम्बर 459 में खसरा नम्बर 813, 815, 876 में कम सं. 8 पर कालू पुत्र सदीक हिस्सा 1/20 जाति तेली सा. देह खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार पर ग्राम रियां के खाता सं. 459 में कम सं. 8 पर दर्ज नाम कालू पुत्र सदीक के स्थान पर अब्दुल हमीद पुत्र सदीक किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रियां के खाता 459 में दर्ज नाम कालू पुत्र सदीक के नाम को दुरूस्त कर अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद सदीक हिस्सा 1/20 जाति तेली निवासी ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर का नाम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायककलेक्टर एवं
पदेन उपखण्डअधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायककलेक्टर एवं
पदेन उपखण्डअधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर